

प्रपत्र-VIII(B)

शहरी क्षेत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा-पत्र-सह-व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी:-

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा-पत्र

में..... पिता/पति-.....

श्रेणी-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु-.....
झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि -

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्याम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ,
2. व्यक्तिगत आधार पर -
 - (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा,
 - (ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा,
 - (iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा,
 - (iv) मैं कैंसर/एड्स/कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा,
 - (v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ।
3. पारिवारिक आधार पर -
 - (i) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper) अथवा,
 - (ii) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller) अथवा,
 - (iii) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

जो लागू हो उसे टिक (✓) लगा दें।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान :

हस्ताक्षर:

दिनांक :

नाम:

नोट:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न - परिवार की सूची)

